

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

विज्ञापन संख्या : 07/परीक्षा/A.En./2018-19

दिनांक : 05.04.2018

आयोग राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1991 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल/यांत्रिकी) के पदों हेतु लिये विभाग द्वारा सूचित पदों हेतु **ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।** शासन/विभागों से प्राप्त कुल रिक्त पदों/आरक्षित पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या निम्नानुसार है :-

No. of Post(s)	U.R.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.			
	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग																				
सहायक अभियन्ता (सिविल)																				
कुल पद 225	96	29	10	02	18	5	2	0	14	5	1	0	30	9	3	0	1	0	0	0
दण्डवत आरक्षण - विशेष योग्यजन 7 पद (LD/CP-7)																				
सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी/विद्युत)																				
कुल पद 75	30	9	3	0	7	3	0	0	7	2	0	0	10	2	1	0	1	0	0	0
दण्डवत आरक्षण - विशेष योग्यजन 3 पद (LD/CP-3)																				
पंचायती राज विभाग																				
सहायक अभियन्ता																				
कुल पद 4	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण - विशेष योग्यजन 1 पद (LD/CP (OL) - 1)																				
सार्वजनिक निर्माण विभाग																				
सहायक अभियन्ता (सिविल)																				
कुल पद 307	109	31	12	3	35	11	3	0	26	8	2	0	45	13	5	1	3	0	0	0
दण्डवत आरक्षण - विशेष योग्यजन 9 पद (HI - 5, LD/CP - 4)																				
जल संसाधन विभाग																				
सहायक अभियन्ता (सिविल)																				
कुल पद 302	115	33	13	3	31	10	3	0	14	5	1	0	50	15	5	1	3	0	0	0
दण्डवत आरक्षण - विशेष योग्यजन 9 पद (B/LV - 3, HI - 3, LD/CP - 3)																				
सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी)																				
कुल पद 3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

1. **शैक्षणिक योग्यता (पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त) :** भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय से बी.ई. (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित योग्यता।

पंचायती राज विभाग हेतु :- Degree in Civil/Agriculture Engineering from a University established by law in India or qualifications declared equivalent thereto by the State Government.

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगा किन्तु उसे **मुख्य परीक्षा** में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

2. **अनिवार्य योग्यता (अ) (पंचायती राज विभाग के पदों के लिए) - "Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture." (ब) अनिवार्य योग्यता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पदों के लिए) - "Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture."**

नोट :- सिविल/विद्युत/यांत्रिकी ब्रांच के पदों के लिए संबंधित ब्रांच में उपाधि होनी चाहिए।

2. **आयु :-** दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 40 से कम।

3. **वेतनमान :-** Pay Matrix Level (L - 14)

4. **अवसर :-** नियमानुसार परीक्षा में बैठने के लिए तीन अवसर देय हैं। राजस्थान के SC/ST के आवेदकों के लिए अवसरों का प्रतिबन्ध नहीं है। ऑनलाईन आवेदन के समय निर्धारित स्थान पर पूर्व अवसर का उल्लेख अवश्य करें। यदि पूर्व में इस परीक्षा में नहीं बैठे हैं, तो संबंधित कॉलम में '0' अंकित करें। गलत सूचना पर अपात्र किया जायेगा।

नोट :- (1) आवेदक विज्ञापित एक विषय प्रकार के पदों के लिए एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, किन्तु अलग-अलग विषय प्रकार के पदों (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। किसी पद के लिए दो या अनेक विभागों में होने पर अभ्यर्थी विभागों का प्राथमिकता क्रम अवश्य भरें। आवेदनोपरांत पदों की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियन्ता-यांत्रिकी/विद्युत के पदों हेतु यांत्रिकी या विद्युत में डिग्रीधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3.	सामान्य वर्ग की महिला	5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य
		पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकार का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
3	राजस्थान राज्य के कारोबार में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity shall be 40 years.
4	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of panchayat samities and zila parishads and in the State Public Sector undertakings/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.
5	एन.सी.सी. के कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C., in the case of cadet Instructor and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.

6	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शॉर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे, तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
7	रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit for the reservist; namely the defence personnel transferred to the reserve and the ex-service personnel shall be 50 years.

नोट –

- उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे – आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्रूटियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा उक्त पद पूर्व में वर्ष 2013 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2019 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।
- अन्य विशिष्ट श्रेणियों में आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा (प्रारम्भिक एवं मुख्य) एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	प्रारम्भिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। प्रारम्भिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप में ली जायेगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा राजस्थान राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित होने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र घोषित की जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है।
आवेदन अवधि	दिनांक 30-04-2018 से दिनांक 29-05-2018 रात्रि 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लॉगिन कर Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा। 2. Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। 3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा। 4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। 5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।
ऑनलाइन संशोधन	ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 30-05-2018 से दिनांक 05-06-2018 रात्रि 12-00 बजे तक।

Scheme of Examination

For the State Engineering Services (Assistant Engineer) Combined Competitive Examination

1. Scheme of Examination: - The Competitive Examination will be held in two successive stages:-

- Preliminary Examination
 - Main Examination
- (i) Preliminary Examination : the preliminary Examination will consist of two papers, i.e. one compulsory paper and one optional paper, which will be of objective type and carry a maximum of 400 marks in the subjects mentioned in Section 'A and B'. The Examination is meant to serve as a screening test only. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidates who are declared qualified for admission to the Main examination will not be counted for determining their final order of merit. The number of candidates to be admitted to the main Examination will be 15 times the total approximate number of vacancies (category wise) to be filled in the year in the various Services and Posts, but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks as may be fixed by the Commission for any lower range will be admitted to the Main Examination.

SECTION – “A”

COMPULSORY PAPER

General knowledge & General Science including General knowledge of Rajasthan its Geography, Economy and culture

MAX MARKS

200

TIME

2 hours

SECTION – “B”

List of Optional papers :- (any one paper to be opted by a candidate).

	Max. Marks	Time
Civil Engineering	200	2 hours
Electrical Engineering	200	2 hours
Mechanical Engineering	200	2 hours
Agricultural Engineering	200	2 hours

- (ii) Main examination: - The written examination will consist of the following papers which will be conventional type. A candidate must take all the compulsory subjects and any one of the optional subjects listed below. Each of the optional subject will have two papers. The time allowed for each paper shall be three hours.

Compulsory Subject

Maximum Marks

Paper – I	Hindi	100
Paper – II	Social aspects of Engineering	100
Paper – III and Paper – IV	Optional Subjects (Any one subject to be opted by a candidate from the following list of optional subjects. Each subject will have two papers)	Maximum Marks 200 marks for each paper

List of optional subjects:-

- Civil Engineering
- Electrical Engineering
- Mechanical Engineering
- Agricultural Engineering

2. **PERSONALITY AND VIVA-VOCE EXAMINATION:-**

- (i) Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test of the Main examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for interview. Provided that no candidate who fails to obtain a minimum of 35% marks in each of the two compulsory papers and a minimum of 40% marks in the aggregate shall be called by the Commission for interview which carries 72 marks.

- (ii) The Commission shall award marks to each candidates interviewed by them. In interviewing the candidates besides awarding marks in respect of character, personality, address and physique, marks shall also be awarded for the candidate's knowledge of Rajasthani culture. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test of the main examination by each such candidate.
- (iii) The standard of the papers will be that of a Bachelor's Degree level except paper on Hindi which will be of Senior Secondary Level.
- (iv) All papers unless specifically required shall be answered either in Hindi or in English, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi and partly in English unless specifically allowed to do so.
- (v) If a candidate's hand-writing is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.
- (vi) Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.
- (vii) It is obligatory for a candidate to appear in all the compulsory papers and in optional papers.

Note - 1 : The Commission shall not recommend any candidate for the State Engineering Services, who has failed to obtain a minimum of 50% marks in the aggregate.

Note - 2 : The Commission shall, in case of Woman Candidates, candidates belonging to the Backward Classes, Most Backward Classes, Scheduled Castes, or the Scheduled Tribes recommend the names of such candidates upto the number of vacancies reserved for them from amongst those who have qualified for interview, even if they fail to obtain the aggregate marks prescribed under Note - 1.

विशेष नोट :-

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 7 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष सूचना :- "यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव